संख्या-09/2026/।/1270682/2026/001-71-4099-1745-2019

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-18.03.2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृहत निर्माण योजनान्तर्गत उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट मास्टर प्लान कार्य हेतु स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित धनराशि रू0 356.23 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4546/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अभि0(35)सिविल/2025-26, दिनांक 09.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत/पुनरीक्षित लागत रू0 6732.06 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 तक निर्गत धनराशि रू0 6039.22 लाख से अवगत कराते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य योजना के सापेक्ष अनुमोदित धनराशि रू0 356.23 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में कुल सचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के संदर्भित पत्र दिनांक 09.03.2026 द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट मास्टर प्लान कार्य हेतु स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित धनराशि रू0 356.23 लाख (अनुदान संख्या-31 से 281.23 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से 75.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हुए उसे अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 व 05 जनवरी, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।

(4) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) शासनादेश संख्या-68/2016/2178/71-2-16-एस-63/2015 दिनांक-24.05.2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 2,81,23,000 (रुपये दो करोड़ इक्यासी लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892900 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
(4) निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
(5) कोषाधिकारी, इटावा।
(6) महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(8) वित्त अधिकारी उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा ।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।